

10/10/22

पत्रावली पैशा हुई वकील पार्थो उपायिता
पार्थो ने जारिये अविषयता इन आशय का
पार्थना पत्र उत्तुत किया कि पार्थना-पत्र
को आगे नहीं चढाना चाहता है।

पार्थना पत्र विद्वां क्रिये जाने की अनुमति
उदान करावे।

चूंकि पार्थो अस्थायी निशेधाज्ञा पार्थनापत्र
में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः
पार्थो द्वारा उत्तुत पार्थना-पत्र जारिये
विद्वां खारिज किया जाता है पार्थना पत्र
पत्रावली फौजल शुमार होकर दायर जाहता
दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2022 को मेरे
द्वारा सुनाया गया।

५
सुखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

(Faint red and blue stamps and text at the bottom of the page)

मय
०
०
३
८